यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, श्रीनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, श्रीनगर के माह 11/2014 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 06/09/2017 से 14/09/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2014 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः खण्ड का मुख्य कार्य रा.मा. स. 58, 119 एवं 707 (A) का अनुरक्षण एवं रखरखाव है. जो क पौड़ी एवं टिहरी गढ़वाल के आं शक क्षेत्र में अवस्थित है।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15			5.15	5.15	0.29	0.29	-	-
2015-16			6.94	6.94	1.26	1.13	-	0.13
2016-17			5.46	5.38	1.71	1.57	-	0.22
2017 से अब तक			0.54	0.47	1.55	0.92	-	0.70

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **B** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, रा.मा. लो.नि. व., उत्तराखण्ड

अधीक्षण अ भयन्ता, रा.मा., लो.नि. व., उत्तराखण्ड

अ धशासी अ भयन्ता, रा.मा., लो.नि. व., उत्तराखण्ड

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, श्रीनगर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, श्रीनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। Strengthening of Road with DBM & BC in between Km 250 to 268 at NH- 58 का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/16 तथा 09/16 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 08/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - शून्य

   भाग द् वतीय - ₹ (-) 81207/-

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 08/17 के अन्त में
   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ 1,44,778/-
   (ख) सामग्री क्रय – शून्य
   (ग) नगद परिशोधन - शून्य
   (घ) निक्षेप- ₹ 3,27,24,866/-
   (ङ) भण्डार- ₹ शून्य

भाग 2 'अ'

प्रस्तर 1: प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून के रोड कटिंग चार्जेस' के निर्धारित दर से गणना न कए जाने के कारण प्राइवेट संस्थानो व निगमो से देय चार्जेस `90.92 लाख का कम निर्धारण कर उक्त संस्थानो को अनु चत लाभ पहुचाना।

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी/ प्राइवेट संस्थान जैसे जल निगम/, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल पाइप लाइन बिछाने / के लए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य कया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में धनरा श संबन्धित वभाग द्वारा खण्ड को प्रदान की जाती है। इसकी गणना की दर प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून द्वारा 16/5/2011 व 22/9/2016 के अनुसार निर्धारित की जानी है।

अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., श्रीनगर के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क राष्ट्रीय राज मार्ग 58 व 119 पर खण्ड द्वारा 'रोड कटिंग चार्जेस' के कई प्रोजेक्ट कार्य (संलग्नक अ के अनुसार) पर गणना वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून के द्वारा निर्धारित दर पर न करके उक्त की गणना एस० ओ० आर० दर के आधार पर की जिस कारण से `90.92 लाख (संलग्नक अ के अनुसार) की कम गणना/वसूली प्राइवेट व सरकारी संस्थानो से हुई जिससे इन संस्थानो को अनावश्यक ही लाभ पहुचाया गया। अ भलेखो मे आगे यह भी पाया गया क इन प्रोजेक्ट पर @`50 आर० मी० के दर से परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्राप्त की गयी है जब क इस का निर्धारण भारत सरकार के 2013 के निर्देश अनुसार निर्धारित दर @`100 आर० मी० से परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्राप्त कया जाना था।

उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून द्वारा 16/5/2011 व 22/9/2016 के अनुसार निर्धारत दरे 0.60 मी0 चौडाई पर analysis की गयी हे जब क सन्ध र्भत प्रकरण के कार्य की चौडाई 0.30 मी0 के आधार पर की गयी है जिससे वास्त वक दर मे अन्तर है तथा परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्राप्त कया जाने के सम्बंध मे अवगत कराया गया क मंत्रालय के शासनादेश 29/9/2000 के अनुसार आवेदक वभाग केबल डालने इत्यदि से हुई क्षति

को स्वय वहन करेगा। खण्ड का उत्तर मान्य नही है क्यों क लेखा परीक्षा द्वारा सन्द र्भत प्रकरण के कार्य की चौडाई 0.30 मी0 के आधार पर ही की गयी है तथा इन प्रोजेक्ट्स मे प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून द्वारा कम से कम निर्धारित गहराई तक का रखा जाना आवश्यक है। इस के अतिरिक्त लेखा परीक्षा कथन की पुष्टि खण्ड द्वारा इन्ही तरह के कई कार्यो पर प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून के द्वारा दिये गए दर/मानको के आधार पर गणना/निर्धारण कए है इस के साथ ही खण्ड द्वारा इन कार्यो पर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी मंत्रालय के द्वारा 2013 मे दिये गए आदेश जिसमे स्पष्ट कहा गया था क परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की गणना @`100 आर० मी० दर से प्राप्त की जाये व मंत्रालय (भारत सरकार) को भेजा जाना था का उल्लघन भी कया था।

अत: 'रोड कटिंग चार्जेस' का गलत दर से निर्धारण के कारण कंपनियो से कुल ` 90.92 लाख की कम वसूली व इन संस्थानो को अनु चत लाभ पहुचाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

Road Cutting Charges

Sl. No	NH	Km		Work Name & Agency	Type of Work exucuted	Quantity	Rate as per Estimate	Rate as per PWD specification	difference
		From	To						
1	58	333	350	Laying of optical fiber cable (Reliance Jio)	1	1437.75	1982	2350	529092
					2	6212.25	183	450	1658671
					3				0
2	58	228.5	229	Laying Water Pipe Line (jal Nigam)	1	250	1456.5	3728	567875
					2				0
					3				0
3	58	347	348	Laying of Pipe Line (Jal Nigam)	1	202.5	1982	2350	74520
					2	202.5	183	450	54067.5
					3				0
4	58	231.6	236.2	Laying of optical fibre cable (BSNL)	1	1116.3	1456.5	3728	2535675
					2	2345	155.83	700	1276079
					3	510	701.6	977	140454
5	58	243.35	244.15	Laying of optical fiber cable (Vodafone)	1	164	959.22	3728	454079.9
					2	420	179	700	218820
					3				0
6	58	232.2	233	Laying of optical fiber cable (Bharti Airtel)	1	150.5	1904	3728	274512
					2	600	179	700	312600
					3				0
7	58	228.5	229.25	Laying of optical fiber cable (Bharti Airtel)	1	900	1622.17	2350	655047
					2				0
					3				0
8	58	343	343.25	Laying of optical fiber cable (Bharti Airtel)	1	112.5	1982	2350	41400
					2				0
					3				0
9	58	338.6	340.9	Laying of optical fiber cable (BSNL)	1	47.25	3606	2350	-59346
					2	987.75	123	450	322994.3
					3				0
10	707(A)	274.895	275.25	Laying of optical fiber cable (Bharti Airtel)	1				0
					2	58.5	241	450	12226.5
					3				0
11	707(A)	260.495	260.745	Laying of optical fiber cable for Bharti Airtel	1				0
					2	112.5	241	450	23512.5
					3				0
								Total	9092280

Details of Type of work executed

1. **Cutting charges for BM/SDBC**
2. **Construction of sub grade and earth and shoulder(Patri)**
3. **Cutting charges of KC drainge**

भाग 2 ब

प्रस्तर 1- भारत सरकार द्वारा `0.53 करोड़ के आवश्यक कार्यो हेतु वचलन स्वीकृत न कए जाना एवं `6.68 लाख देय राया लटी कम काटा जाना।

राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 119 के क०मी० 196 मे **110.00M span pre-stressed box girder bridge** के कार्य हेतु कुल लागत `1393.15 लाख की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश एन०एच० -12014/ **Uttarakhand(2)/2015 S&R(B)** दिनांक 25/03/2015 (जॉब संख्या **119 Uttarakhand(2) -2014-15-001-S&R(B))** द्वारा प्राप्त हुई थी। कार्य हेतु अनुबन्ध संख्या 41/SE-एनएच10/2014-15 दिनांक 23/11/2015 मेसर्स दून असोस्येट्स देहारादून के साथ कुल लागत `12.04 करोड़ का गठित कया गया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 23/11/2015 व कार्य समाप्ती की निर्धरित ति थ 22/05/2017 थी।

अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., श्रीनगर के अ भलेखो व ठेकेदार के 5 देयक के अनुसार उक्त कार्य के निष्पादन मे कुल `8.47 करोड़ (`7.77 का भुगतान ठेकेदार को व एजन्सि चार्जेस `0.70 करोड़) कया गया था। इस के अतिरिक्त `0.53 करोड़ का वचलन भारत सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं कया गया था तथा कार्य आति थ तक अपूर्ण है ले कन इस सम्बंध मे मुख्य अ भयन्ता द्वारा ठेकेदार द्वारा निर्धरित माइल स्टोन पर कार्य पूर्ण न कए जाने के लए (239 दिन) 19 जनवरी 2018 तक समय वृद् ध की स्वीकृत ठेकेदार को दी है। आगे यह भी पाया गया क एस०बी०डी० के (प्रस्तर संख्या 13) शर्तो के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य पर इन्सोरेंनस नहीं करवाया था। कार्य मे खण्ड द्वारा वेल foundation एवं एबटमेंट पुन: अ भकल्पन कए थे जिस के कारण ` 51.17 लाख के एक्सट्रा आइटम के कुछ कार्यो कए जाने की अवश्यकता है जिसकी भारत सरकार द्वारा आति थ तक स्वीकृति प्रधान नहीं की है। इसके अतिरिक्त ठेकेदार के 5 देयकों से अर्जित राया लटी 6471.9 घन मीटर के वरुद मात्र 1883 (29%) घन मीटर की ही कटोती की गयी थी अत: ठेकेदार के भुगतान देयकों से वत्तीय नियम व बजट मेनुयल के अनुसार देय राया लटी `6.68 लाख कम काटी गयी थी।

उक्त के सम्बंध मे इ गंत कये जाने पर खण्ड ने उत्तर मे अवगत कराया क अ भलखो के मलान के उपरान्त रायल्टी की कटोती नियमानुसार की जाएगी, इन्सोरेंनस हेतु ठेकेदार को निर्दे शत कया गया है व भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त मद के सम्बंध मे आश्वस्त कया

गया है क कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त अतिरिक्त मदों की स्वीकृति नियमानुसार कर दी जाएगी। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अत: ठेकेदार के भुगतान देयकों से वत्तीय नियम व बजट मेनुयल के अनुसार `6.68 लाख देय राया लटी कम काटा जाना, एस०बी०डी० के शर्तो के अनुसार कार्य पर इन्सोरेंनस नहीं करवाया जाना व वेल foundation एवं एबटमेंट पुन: अ भकल्पन से `0.53 करोड़ के वचलन के आवश्यक कार्यो को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न कए जाने का प्रकरण उच्च अ धकरियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **1**-:वेतन निर्धारण में वसंगति के कारण ₹2.40 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) का अ धक वेतन भुगतान |

अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., श्रीनगर के अ भलेखों की जांच में पाया गया हैं श्री मोहम्म्द तहसीन,सहायक अ भयंता, श्री अनिल कुमार मोतियान, अपर सहायक अ भयंता एवं श्री मृतुंजय शर्मा,सहायक अ भयंता की नियु क्त कनिष्ठ सहायक के पद पर 2004 मे नियु क्त हुई थी तथा सभी अ धकारियो की पदोन्नति अपर सहायक अ भयन्ता के पद पर मार्च/मई 2011 को हुई|

उपरोक्त अ धकारियो की पदोन्नति एक ही वर्ष में अपर सहा.अ भयंता के पद पर हुई थी परन्तु मार्च/मई 2011 में अपर सहा.अ भयंता के पद पर पदोन्नति के बाद से वेतन निर्धारण में भन्नता पायी गयी हैं| उक्त अ धकारियो के सेवा पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया क पदोन्नति के बाद के वेतन का निर्धारण कस आधार पर व कस शासनादेश के अन्तर्गत कया गया था का उल्लेख नहीं कया गया था|

श्री मोहम्म्द तहसीन,सहायक अ भयंता, एवं श्री अनिल कुमार मोतियान, अपर सहायक अ भयंता को पदोन्नति पर मूल वेतन क्रमश: ₹18750/= एवं ₹18150/= दिया गया जब क श्री मृतुंजय शर्मा,सहायक अ भयंता को वेतन आयोग के अनुसार ₹17080/= दिया गया था। इस प्रकार मार्च/मई 2011 को मूल वेतन ₹17080/= निर्धारित करने पर मार्च/मई 2011 से अगस्त 2017 तक श्री श्री मोहम्म्द तहसीन,सहायक अ भयंता, एवं श्री अनिल कुमार मोतियान, अपर सहायक अ भयंता को कुल ₹2.40 लाख (केवल मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) अ धक वेतन भुगतान कया गया|

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क वेतन निर्धारण नियमानुसार कर संशो धत कर लया जाएगा |

अत: श्री मोहम्म्द तहसीन,सहायक अ भयंता, एवं श्री अनिल कुमार मोतियान, अपर सहायक अ भयंता पर ₹2.40 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) की अ धक वेतन दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2 : बिना कोई धनरा श प्राप्त कए ही ` 33.91 लाख का व्यय एन०एच० 707 पर भारित कया जाना व एन०एच० 58 व एन०एच० 119 पर ` 3.61 करोड़ का व्ययवर्तन।

वत्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के निहित प्रावधानों के अनुसार निक्षेप कार्यो पर व्यय प्राप्त धनरा श तक सी मत रखा जाए और प्राप्त धनरा श का कसी अन्य कार्य पर व्ययवर्तन कदा प न कया जाये।

अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., श्रीनगर , के निक्षेप मद भाग-III के अ भलखो की नमूना जांच मे पाया गया क खण्ड द्वारा संलग्नक 1 के अनुसार एन०एच० 707 पर बिना कोई धनरा श प्राप्त कए ही `33.91 लाख का व्यय भारित कया जो क वत्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के पैरा संख्या 580 मे निहित प्रावधानों का साफ साफ उल्लघन है। आगे यह भी पाया गया क खण्ड द्वारा एन०एच० 58 व एन०एच० 119 पर प्राप्त धनरा श का उपयोग नियमाँनुसार रोड कटिंग के कार्य पर न कर ` 1.23 करोड़ संलग्नक 2 के अनुसार का व्यय अन्य कार्य पर व्ययवर्तन करते हुए जैसे एफ़०डी०आर०, ओ० आर० व कार्यालय व्यय पर भी कया व कया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये अवगत कराया कि मानसून काल में अत्यधिक क्षति होने के कारण मार्ग को दुरूस्त करने हेतु धनराशि की मांग भारत सरकार से उच्चाधिकारियों के माध्यम से की गयी यह मॉग मुख्य अभियन्ता राष्टीय राजमार्ग के पत्रांक 360/36 रा0मा0–उ0/2017 दिनांक 22/02/2017 के द्वारा रू0 624.61 लाख की प्रेषित की गयी किन्तु कुल मॉग रू0 624.61 लाख के सापेक्ष मात्र रू0 263.70 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी। इस अपर्याप्त धनराशि में तीनों राष्टीय राजमार्गो का Restoration तथा क्षतियों की मरम्मत अत्यन्त कठिन थी। चार धाम यात्रा मार्ग पर सतत एवं सुलभ यातायात बनाए रखने के लिये डिपॉजिट मद से मार्ग में व्यय किया गया। मार्गो पर यातायात बनाये रखने हेतु आवश्यक धनराशि की मॉग प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से पत्रांक 223/9 MG दिनांक 23/3/2017 द्वारा भी की गयी किन्तु धन प्राप्त न होने के कारण निक्षेप से व्यय किया गया, धनाबंटन होने पर इसका समायोजन कर लिया जाएगा।

अत: एन०एच० 707 पर बिना कोई धनरा श प्राप्त कए ही `33.91 लाख का व्यय भारित कया जाना व `1.23 करोड़ के साथ साथ ` 3.61 करोड़ का अन्य कार्य पर व्ययवर्तन का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

संलग्नक 1 : Road Cutting Charges							
Road Name	Total Amount				**Month of diversion from NH-58**	**Total Funds diverted from NH 58**	**Closing Balance**
NH 119	Received	Month of expenditure	Expenditure	Excess exp.			
		Oct-15	476491		Jul-15	2000000	
Aug-16	7810000	Nov-15	1231949		Oct-15	20000000	
Jan-17	399000	Feb-16	1365921				
Jun-17	8908000	Mar-16	1199585				
Jul-17	900000	Apr-16	7402226				
		May-16	1616461				
		Jun-16	28060				
		Jul-16	569576				
		Aug-16	2144925				
		Oct-16	717136				
		Jan-17	1256214				
		Mar-17	1381206				
Total	**18017000**		**19389750**	**- 1372750**		**22000000**	**20627250**

NH 707	0	Jan-17	97943				
		Mar-17	3293386				
Total	0		**3391329**	**-3391329**			**-3391329**

संलग्नक -2

Bond No	date	Amount of voucher pertaining to FDR,OR, PR etc. but debited to deposit head
AE/47	24/8/2015	435355
AE/48	24/8/2015	132305
EE/02	18/04/2015	3033821
EE/31	29/05/2015	1003594
EE/45	05/08/2015	1491326
EE/85	19/08/2016	485621
EE/08	27/05/2015	804412
EE/26	18/5/2015	495142
AE/35	29/05/2015	424080
EE/165	26/02/2016	2334181
SE/07	18/04/2015	1617514
	Total	**1,22,57,351**

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा			

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
				-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, श्रीनगर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री धीरेन्द्र कुमार ,	अ ध. अ भ.	20/08/2014 से 15/06/2016 तक।
(ii)	श्री जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी,	अ ध. अ भ.	15/06/2016 से अब तक।

(iii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री नरेन्द्र संह (अप्रैल 2015 से 29 जून 2015 तक)
2. श्री पदमेन्द्र संह (30 जून 2015 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, श्रीनगर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II